

फारम-VIII- क
कार्यालय नगरपरिषद दानापुर निजामत
भवनकी योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 52 तिथि-21.06.2022 के संदर्भ में

वैष्णवी बिल्डर एण्ड डेवलपर्स, पार्टनर-श्रीमती रीमा सिंह, पति-श्री शशि सिंह, श्रीमती नीतु सिंह, पति-श्री अमरेश कुमार, श्रीमती रीतु कुमारी, पति-श्री शोभित सुमन, पता-258, बालाजी नगर, दानापुर, पटना।

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण
(ग) भवन के पुनःनिर्माण
(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद / नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत / महानगर क्षेत्र / बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 5.2. प्लॉट नं0-188, खाता नं0-97, तौजी नं0-थाना नं0-23, मौजा-सगुना, पता-थाना-दानापुर, जिला-पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों / निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-....95/22-23 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल-Block-A=2035.82 m² & Block-B=660.89 m², Total B/u Area A+B= 2,696.71 m² वर्ग मीटर एवं B+G+4 की स्वीकृति दी जाती है:-

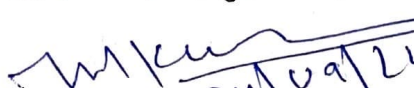
- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकासपूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 710.81 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि औसत 18.45 मी0 चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांति पूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 00.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

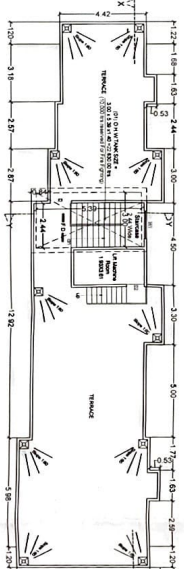
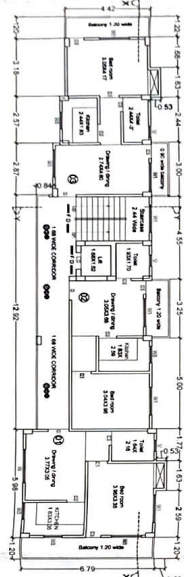
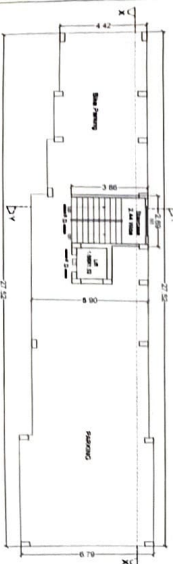
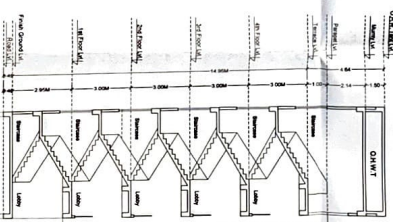
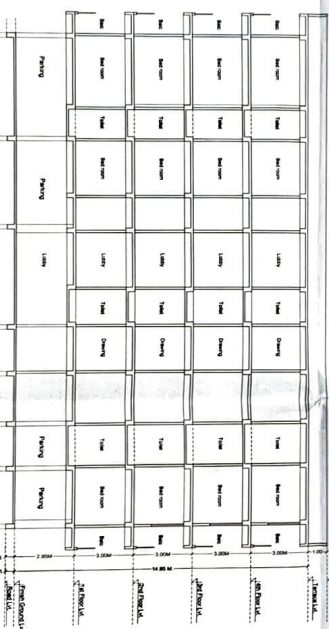
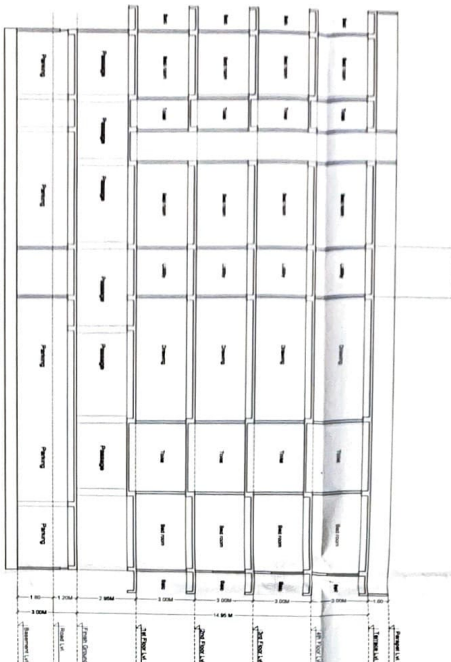
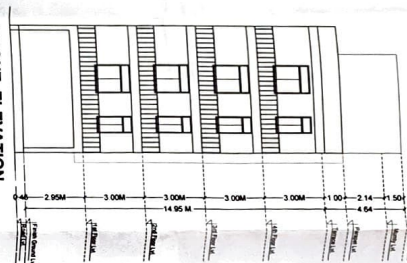
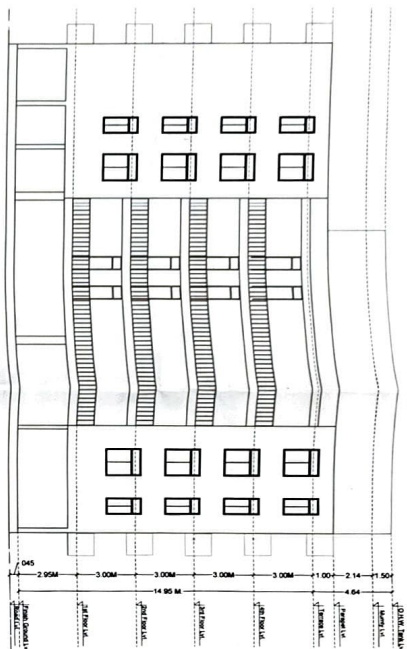
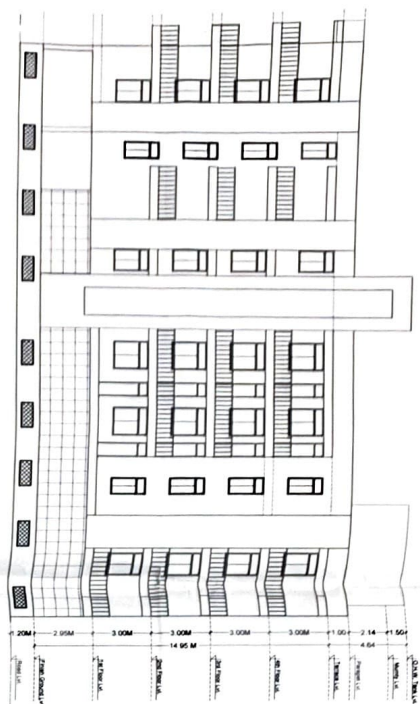
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
- (ञ) बिहारभू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपट पूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाब देही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (त) रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं सी0सी0टी0भी0 कैमरे का अनिवार्य रूप से भवन में अनुपालन करना होगा।
- (थ) भविष्य में अगर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / श्रम संसाधन विभाग / आयकर विभाग / अन्य किसी विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर / शुल्क लगाया जाता है तो उसका भूगतान आपके द्वारा देय होगा।
- (द) नगर परिषद दानापुर निजामत को कभी भी कोई नियम / शर्त लगाने का अधिकार होगा।
- (थ) अन्य शर्त
- बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि 2014 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 (संशोधित) के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।


नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:-.....95...../दिनांक:-24/09/2022

प्रतिलिपि:- वैष्णवी बिल्डर एण्ड डेभलपर्स, पार्टनर-श्रीमती रीमा सिंह, पति-श्री शशि सिंह, श्रीमती नीतु सिंह, पति-श्री अमरेश कुमार, श्रीमती रीतु कुमारी, पति-श्री शोभित सुमन, पता-258, बालाजी नगर, दानापुर, पटना, मो0 नं0-9334253048 को सूचनार्थ प्रेषित।


नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत



MEASUREMENTS OF DOORS & WINDOWS					DESCRIPTION
TYPE	WIDTH	HEIGHT	BILL	UNIT	
D	1.22	2.13	0.0	2.13	Double Leaf Door
D	1.07	2.13	0.0	2.13	Single Leaf Door
D	0.98	2.13	0.0	2.13	Single Leaf Door
D2	0.81	2.13	0.0	2.13	Single Leaf Door
D3	0.78	2.13	0.0	2.13	Single Leaf Door
W	1.37	1.78	0.76	2.54	Glazed window
W1	0.91	1.63	0.51	2.54	Glazed window
W2	0.61	0.61	1.52	2.13	Glazed window
V	1.82	0.46	2.13	2.59	Vertical

SPECIFICATION:-

1. FOUNDATION: R.C.C. LARGES REINFORCED RAFT FOUNDATION 1.5M
2. FIRST FLOOR: REINFORCED CONCRETE
3. SECOND FLOOR: 1ST CLASS BRICK WORK IN RUBER
STRUCTURE WITH CHERRY COATING (1:1)
4. PLUMB: 25MM T.O.L. AND P.L. AS SHOWN IN SECTION
5. FLOORING: 30MM THICK 12" X 6" FLOORING OVER 125 TH
DYER REINFORCED BRICK OVER 125MM TH. BRICK
FLAT SCULDED OVER SAND FILLING
6. ROOF: 12 CM THICK ASPHALT LAIT TERPACUM OVER R.C.C ROOF SLAB
7. DOORS: CHERRYWOOD OR DOORS TO BE PAL WOOD
8. WINDOWS: ALL WINDOWS TO BE ITALY GLAZED IN STEEL FRAME
9. PLAYERS: 12MM THICK CHERRY PLANT ON BOTH
SIDE OF BRICK WALL.
10. COLORING: COLORED ON WHITE MARBLE PER CHOICE

PROJECT NAME :

DEVELOPERS DETAIL:-

PROPOSED BUILDING FOR
VAISHNAVI BUILDER & DEV

PARTNERS-
(1) SMT RIMA SINGH, W/O-SRI SHASHI SINGH
(2) SMT NITU SINGH W/O- SRI ANRESH KUMAR
(3) SMT RITU KUMARI, W/O-SRI SHOBHIT SUMAN
ADDRESS- HOUSE NO.-268 BALAJI NAGAR,DANAPUR,
DIST-PATNA,BIHAR-801503

PLOT DETAIL :-

SURVEY THANA NO.-23,
MALIZA-SAGUNA JANGAL YIHAR DAN
SOLWEI TLEOT NO.-100, MALIZA NO.-3

SCALE	NORTH
-------	-------

1 : 100

WALSINGHAM BUILDER AND DEVELOPER

निर्देशांक PART

MANAGEMENT PRINCIPLES AND DEVELOPMENT

Ramesh Singh

1

WATCHMAN BULLDOG AND DRIVER

Rita Kumari

Dr. UMASHANKAR KUMAR
C/2011/5402

SIGNATURE OF
BUILDER / OWNER

—

—

Veilung

A.E.
Penshaw Denmour Nizam

1000

150

सर्वोत्तम विद्यायाः अर्थः ।
सर्वोत्तम विद्यायाः अर्थः ।

2000

2017 (REDA) की शर्तों के अनुसार

एकदशक का विकास दर्शाता प्रोग्राम

2

14/9/22

Kaiser Permanente Denver NURSING